# 5

# जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

# जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ग) के साथ पठित नियम 4 के खंड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के द्वितीय सम्मेलन 9 अक्टूबर, 1999 में पारित प्रस्ताव क्रमांक 7 के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद् द्वारा प्रत्येक जिले में जिला विधिक परामर्श केन्द्र नामक योजना विरचित करता है।

## योजना

**संक्षिप्त नाम :**

इस केन्द्र का नाम जिला विधिक परामर्श केन्द्र होगा।

**पृष्ठभूमि :**

भारत न केवल संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक गणतंत्रात्मक गणराज्य है अपितु एक लोक–कल्याणकारी राज्य भी है। लोक–कल्याणकारी राज्य के नाते उसका प्रथम कर्तव्य देश की जनता के हितों की रक्षा करना और उनके लिए कल्याणकारी योजनायें तैयार करना है। उसका लक्ष्य "बहुजन हिताय" "बहुजन सुखाय" है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य यथा समय जनसाधारण की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करने का प्रयास करेगा। किसी भी पीड़ा अथवा व्यथा से सताया हुआ व्यक्ति बड़ी आशायें लेकर न्यायालय में आता है लेकिन वांछित सलाह/सहायता के अभाव में किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाता है। अतः संविधान में यह व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार समाज के कमजोर वर्गों का कोई भी व्यक्ति अर्थाभाव एवं किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय से वंचित न रह जाये जिसके लिए संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 39–क समानता के आधार पर न्याय एवं कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का दायित्व शासन पर डाला गया है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा के अंतर्गत निशक्त लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ उद्देश्य हितार्थ विधिक परामर्श केन्द्र योजना विरचित करता है। संविधान या विधि द्वारा अधिकार प्रदत्त होना ही पर्याप्त नहीं है। वरन् सभी को उनके अधिकारों से अवगत कराकर उनको मार्गदर्शन के साथ समस्याओं के निराकरण हेतु विधिक परामर्श देना है। नैतिकता और अध्यात्म से ओत–प्रोत भारत की जनता आज भी अधिकांश अपराध अथवा अपकृत्य मात्र विधि की अज्ञानता, अनभिज्ञता के कारण करती है साथ ही साथ समानता व नैतिक न्याय के आधार पर विधि का संरक्षण भी आवश्यक है। अतः लोगों को विधि का ज्ञान कराने, विधि का मार्ग प्रशस्त करने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु विधिक परामर्श देने के लिए प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला विधिक परामर्श केन्द्र स्थापित करना आवश्यक हो गया है।

## जिला विधिक परामर्श केन्द्र :

"विधिक परामर्श केन्द्र" से अभिप्रेत ऐसे केन्द्र से हैं जिसमें लोगों को उनकी समस्याओं एवं प्रकरणों के संबंध में कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जावे।

## न्यायालय :

"न्यायालय" से कोई सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत न्यायिक या न्यायिकेत्तर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण है।

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण :

जिला प्राधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है।

## उद्देश्य :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39–(क) के मंशा के अनुरूप अर्थाभाव के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने से वंचित न रह सके, उसे सक्षम विधिक सहायता प्रदान करनें का दायित्व राज्य शासन पर डाला गया है जिसके अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। अधिकांश ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिन्हें न तो नियम व कानून का ज्ञान होता है और न ही उसका निदान ही ढूंढ़ पाते और न ही यह जान पाते कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कहां जाना चाहिए वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ रहते हैं। समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को उन्हें, उनके प्रकरणों के निदान करने हेतु विधिक परामर्श दिया जाना संवैधानिक दायित्व में आता है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में विधिक परामर्श केन्द्र स्थापित कर लोगों को लाभान्वित कराया जाना है।

## जिला विधिक परामर्श केन्द्र की स्थापना :

प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला विधिक परामर्श केन्द्र स्थापित होगा, जो जिला विधिक सहायता अधिकारी का प्रमुख कार्यालय रहेगा।

## जिला विधिक परामर्श केन्द्र का गठन :

जिला विधिक परामर्श केन्द्र के सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। विधिक परामर्श केन्द्र में

निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अध्यक्ष / सचिव<br>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | पदेन अध्यक्ष |
| 2. | म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद<br>के सदस्य (यदि उस जिले में हो) | पदेन सदस्य |
| 3. | अध्यक्ष / सचिव<br>जिला अभिभाषक संघ | पदेन सदस्य |
| 4. | अवकाश प्राप्त न्यायिक अधिकारी (यदि हो तो) | नामांकित सदस्य |
| 5. | समाजसेवी प्रतिष्ठित महिला / पुरूष | नामांकित सदस्य |
| 6. | जिला विधिक सहायता अधिकारी | पदेन सचिव |
| 7. | | |

**परामर्श की प्रक्रिया :**

केन्द्र का सचिव/जिला विधिक सहायता अधिकारी, आवेदक/पक्षकार के आवेदन प्राप्त करेगा, उक्त आवेदन पत्र को रजिस्टर में पंजीबद्ध किया जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यक विधिक परामर्श देगा तथा यदि कोई पेचीदा मामला है तो ऐसी स्थिति में इस केन्द्र के सदस्यों या अध्यक्ष/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से सही रास्ता सुझायेगा। यदि पक्षकार सहमत है तो ऐसी स्थिति में उनके प्रकरण आपसी समझौते द्वारा निराकरण हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रिलिटीगेशन स्टेज पर रखेगा। जिसका निराकरण आयोजित होने वाली लोक अदालत में किया जा सकेगा। यदि आवेदक/पक्षकार का प्रकरण विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु युक्तियुक्त है तो उसे विधिक सहायता प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करने हेतु सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष रखेगा।

**विधिक परामर्श केन्द्र का समय :**

यह केन्द्र अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष सभी कार्यालयीन दिवसों में रहेगा। केन्द्र का समय 11:00 बजे सुबह से 1:30 बजे एवं 2:00 बजे से 5:30 बजे सायं तक रहेगा।

**प्रचार प्रसार :**

केन्द्र के सदस्यों के सहयोग एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा केन्द्र के कार्य के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार समस्त, उपलब्ध संचार माध्यमों से किया जायेगा।

**संरक्षण :**

जिला विधिक परामर्श केन्द्र के सदस्यों द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के विरूद्ध कोई भी दीवानी या आपराधिक अथवा अन्य कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

**व्यय :**

जिला विधिक परामर्श केन्द्र के द्वारा की गई कार्यवाही में उपगत होने वाले व्यय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को विधिक सहायता हेतु आवंटित राशि का अंश होगा।

**बैठक :**

जिला विधिक परामर्श केन्द्र की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार होगी, जिसमें योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति संबंधी निर्णय लिया जाकर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मार्गदर्शन लिया जा सकेगा।

**अभिलख का संधारण :**

जिला विधिक सहायता अधिकारी विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी रजिस्टर संधारित कर समस्त कार्यवाही का अभिलेख जिला विधिक परामर्श केन्द्र में सुरक्षित रखेगा।

**नियंत्रण :**

जिला विधिक परामर्श केन्द्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में जिला प्राधिकरण के अध्याधीन रहते हुए जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में कार्य करेगा।

**गोपनीयता :**

जिला विधिक सहायता अधिकारी ऐसी परिस्थिति में जहां एक ही विवाद से संबंधित पक्षकार अपना–अपना आवेदन देते हैं उनके तथ्यों को गोपनीय रखेगा और पक्षकारों को दिये जाने वाले विधिक परामर्श को गोपनीय रखेगा। किसी भी हाल में वह एक पक्षकार के प्रकरण के तथ्य एवं उसमें दिए गए विधिक परामर्श के संबंध में दूसरे पक्षकार को नहीं बतायेगा तथा गोपनीय रखेगा।

**प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण :**

जिला विधिक सहायता अधिकारी, विधिक परामर्श केन्द्र में हुए लाभान्वित व्यक्तियों का प्रगति प्रतिवेदन हर माह के प्रथम सप्ताह में जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा।

**कठिनाईयां एवं निवारण :**

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तथा आने वाली कठिनाईयों के निवारण के पूर्ण अधिकार कार्यपालन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होंगे और इनका आदेश/निर्णय अंतिम होगा।

---

**अधिक जानकारी के लिए लिखें या सम्पर्क करें :–**

1. उच्च न्यायालय स्तर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, सचिव अथवा विधिक सहायता अधिकारी से।
2. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर परिर में कार्यरत् उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति के सचिव अथवा विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क करें।
3. जिला स्तर पर सभी जिलों के दीवानी न्यायालय परिसर में कार्यरत् जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष (जिला जज) सचिव अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से।

4. तहसील स्तर पर सभी तहसीलों में दीवानी न्यायालय परिसर में कार्यरत् तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (न्यायाधीश) से।
5. कठिनाई के लिए सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574 साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर से सम्पर्क करें।

---